550

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, 2700447 E-mail: sfg.rcse@gmail.com

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 12वीं बैठक का कार्यवृत – दिनांक 06.02.2014

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 12वीं बैठक शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के सभागार में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2014 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है :–

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
1	**प्रस्ताव संख्या 1 – निष्पादक समिति की ग्यारवी बैठक दिनांक 15.03.2013 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन करना :–**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2	**प्रस्ताव संख्या 2 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना 2013–14 भारत सरकार को भेजने की प्रक्रिया एवं वार्षिक योजना का अनुमोदन करना :–**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3	**प्रस्ताव संख्या 3 – भारत सरकार द्वारा जारी Financial management and procurement for RMSA के प्रावधानों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में संशोधनों का अनुमोदन :–** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना में संचालित सभी गतिविधियों मे वित्तिय प्रक्रियाओ के क्रियान्वयन हेतु मानव संशाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश M.F.M.P. (Manual on financial management and procurement for RMSA के clause no. 1.2.7) को अनिवार्यतया लागू किया जाना है एवं इसके समस्त प्रावधान अन्य समस्त लेखा नियमों पर सर्वोपरी होंगे। अतः clause no. 1.2.7 के तहत E.C द्वारा M.F.M.P. को adopt किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि रमसा स्कीमों में विकास भागीदार विश्व बैंक तथा यूरोपियन संघ द्वारा भी रमसा स्कीमों में M.F.M.P. के प्रावधानों को अनिवार्यतया लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये है। अतः रमसा की सभी योजनाओं हेतु M.F.M.P. को लागू किया जाना प्रस्तावित है। Rajasthan Transparency in Public Procurement Act / M.F.M.P. / BF&AR (रमसा) के वित्तीय प्रावधानों का तुलनात्मक प्रपत्र संलग्न है। M.F.M.P. के प्रावधान लागू किये जाने की स्थिति में वर्तमान BF&AR में अंकित वित्तीय प्रावधानो एवं वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधन से पूर्व MFMP RMSA के clause no. 1.2.7 का पारदर्शिता एक्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाईस के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जावे।

551

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रस्ताव</th><th>चर्चा एवं निर्णय</th></tr>
<tr><td>4</td><td><u>प्रस्ताव संख्या 4 – भारत सरकार के Manual on Financial Management and Procurement for RMSA पर वित्त विभाग की टिप्पणी के संदर्भ में चर्चा।</u>

भारत सरकार द्वारा जारी Manual on Financial Management and Procurement को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में लागू किए जाने हेतु गत EC की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई थी। वित्त विभाग से प्राप्त टिप्पणी (राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये शिक्षा परिषद के बोर्ड में परिषद की आवश्यकता का आकलन व भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर पर अनुमोदन करावें) के संदर्भ में MFMP, RTPA (Rajasthan Transparency in Public Procurment Act) & BF&AR के तुलनात्मक विवरण पर चर्चा किया जाना प्रस्तावित है।</td><td>चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संशोधन से पूर्व MFMP RMSA के clause no. 1.2.7 का पारदर्शिता एक्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाईस के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जावे।</td></tr>
<tr><td>5</td><td><u>प्रस्ताव संख्या –5 :–</u>
परिषद् में गाड़ियों की मासिक एवं आकस्मिक आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित अनुसार किराए/अनुबंधित वाहन के उपयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–
<u>राज्य कार्यालय हेतु</u>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>उपयोग का आधार</th><th>उपयोगकर्ता अधिकारी का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मासिक आधार पर</td><td>1. राज्य परियोजना निदेशक
2. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
3. नियंत्रक वित्त
4. अधिशाषी अभियन्ता
कार्यालय उपयोग हेतु</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आकस्मिक मांग के आधार पर</td><td>परिषद में समय–समय पर बाहर आने वाले दलों, अल्प अवधि कार्य शालाओं, बैठकों एवं फील्ड विजिट हेतु</td></tr>
</table>
<u>जिला कार्यालय हेतु</u>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>उपयोग का आधार</th><th>उपयोगकर्ता अधिकारी का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मासिक आधार पर</td><td>जिला परियोजना समन्वयक तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता</td></tr>
</table></td><td>प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
<tr><td>6</td><td><u>प्रस्ताव संख्या–6 :</u>
<u>शारदे बालिका छात्रावास बाडी, धौलपुर के स्थान परिवर्तन का अनुमोदन किया जाना :–</u>
शारदे बालिका छात्रावास बाडी, धौलपुर हेतु पूर्व में ब्लॉक मुख्यालय बाडी पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि का आवंटन जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा ही निरस्त कर दिया गया है (संलग्न पत्र Annexure 1)। अब उक्त भूमि पर छात्रावास भवन का निर्माण नही कराया जा सकता है। बालिका छात्रावास बाडी, धौलपुर हेतु अन्य उपयुक्त भूमि तलाशने पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हांसई,</td><td>प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रस्ताव</th><th>चर्चा एवं निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td>बाडी, धौलपुर के निकट भूमि उपलब्ध हुई है। राज्य मुख्यालय के अधिकारी द्वारा इस भूमि का भौतिक करवाया गया है तथा यह भूमि उपयुक्त पाई गई है। उल्लेखनीय है कि बाडी, ब्लॉक मुख्यालय पर अन्य कोई भूमि उपलब्ध नही है। अतः शारदे बालिका छात्रावास बाडी धौलपुर हेतु पूर्व में आवंटित भूमि को परिवर्तित कर इसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हांसई, बाडी, धौलपुर में बनाया जाना प्रस्तावित है। निष्पादक समिति के समक्ष प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td><u>प्रस्ताव संख्या–7 :</u>
<u>सेवाओं के शुल्क में अभिवृद्धि का अनुमोदन :–</u>
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में ली जाने वाली विभिन्न सेवाओं का शुल्क राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की दिनांक 19.04.2010 को आयोजित चतुर्थ बैठक के प्रस्ताव क्रमांक–8 में पारित निर्णय के द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्ष 2010 के बाद महंगाई वृद्धि दर बढ़ जाने के कारण ली जाने वाली सेवाओं के शुल्क में वृद्धि की जानी उपयुक्त होगी। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा की निष्पादक समिति की दिनांक 01.03.2013 को मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित 20वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु–7 के अन्तर्गत पारित निर्णय एवं जारी आदेश क्रमांक–1333 दिनांक 29.04.2013 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में ली जाने वाली निम्नलिखित सेवाओं के शुल्क में निम्नलिखित अनुसार वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है उक्त वृद्धि 1 जनवरी 2014 से किया जाना प्रस्तावित है।
<table>
<tr><th>स्तर</th><th>पद का नाम</th><th>स्वीकृत पद</th><th>वर्तमान में देय मासिक शुल्क</th><th>प्रस्तावित मासिक शुल्क</th></tr>
<tr><td rowspan="3">राज्य स्तर</td><td>कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा</td><td>12</td><td>6000 /–</td><td>7500 /–</td></tr>
<tr><td>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सेवा</td><td>2</td><td>6000 /–</td><td>7500 /–</td></tr>
<tr><td>सहायक / स्वीपर सेवा</td><td>10</td><td>4000 /–</td><td>5000 /–</td></tr>
<tr><td rowspan="2">जिला स्तर</td><td>कम्प्यूटर एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सेवा</td><td>प्रति जिला–3</td><td>5000 /–</td><td>6500 /–</td></tr>
<tr><td>सहायक</td><td>प्रति जिला–3</td><td>4000 /–</td><td>5000 /–</td></tr>
</table>
उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के प्रस्तावित मासिक शुल्क के अतिरिक्त कम्प्यूटर मशीन का मासिक किराया 1500 /– रु. प्रति कम्प्यूटर मशीन प्रति माह निर्धारित है।</td><td>समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद हेतु उक्त प्रस्ताव वित्त विभाग से अनुमोदित है। अतः तदनुसार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
<tr><td>8</td><td><u>पूरक एजेण्डा –संख्या :– 1</u>
<u>निर्माण कार्यों में संशोधन हेतु।</u>
1. राज्य स्तरीय बैठक दिनांक 10 / 01 / 2014 में जिला अधिकारियों द्वारा बतायी गई समस्याओं के आधार पर निर्णय किया गया कि विभिन्न जिलों में RMSA (2010-11) के कुछ कार्य अधिक टेण्डर प्रीमियम के होने के कारण निर्धारित इकाई लागत मे पूर्ण नहीं हो पा रहे है अतः उसी जिले में समान वित्तीय वर्ष की समान स्कीम में यदि कार्यो में बचत राशि उपलब्ध हो तो उस राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष एवं स्कीम के अधुरे कार्यो को पूर्ण करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। बैठक</td><td>प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td></tr>
</table>

553

क्र. सं.	प्रस्ताव	चर्चा एवं निर्णय
	कार्यवाही विवरण क्रमांक 3713 दिनांक 20/01/2014 की प्रति संलग्न है। 2. पी.ए.बी 2011–12 में विद्यालय सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 2392 विद्यालयों में 11293 इकाईयों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। वर्तमान दरों पर कार्यों को स्वीकृत इकाई लागत मे पूर्ण कराया जाना संभव नहीं है। स्वीकृत इकाई लागत मे निर्माण कार्य निम्न प्रकार किया जाना प्रस्तावित है। i. प्रस्तावित कार्यों में भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार निर्माण में से सर्कूलेशन क्षेत्रफल (बरामदा) को छोडकर शेष क्षेत्रफल का निर्माण शामिल किया गया है। ii. विशिष्टियों में बदलाव के अन्तर्गत कोटा स्टोन फर्श के स्थान पर सीमेन्ट कंक्रीट का फर्श एवं पेरापेट की ऊचाई 1.00 मीटर के स्थान पर 0.30 मीटर रखी गई है। इसके अतिरिक्त बिजली का कार्य सम्मलित नहीं किया गया है। बिजली का कार्य वास्तविक लागत में बचत एवं विद्यालय स्तर पर अन्य मद में उपलब्ध राशि से कराया जा सकेगा। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन की स्थिति में स्वीकृत सभी 11293 इकाईयों का निर्माण उपलब्ध धनराशि में कराया जा सकेगा एवं भारत सरकार द्वारा देय केन्द्रांश का पूर्ण उपयोग हो सकेगा, जो राज्य हित में है। पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की गई है अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	निष्पादक समिति द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः ठोस आधार के साथ प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

554

परिशिष्ट–1

निष्पादक समिति की 12वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची
दिनांक : 06.02.2014

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद
1.	श्री खेमराज चौधरी	अध्यक्ष निष्पादक समिति एवं प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
2.	श्री नरेशपाल गंगवार	आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3.	श्री विकास एस. भाले	निदेशक (मा.शि.) एवं राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
4.	श्रीमती रश्मि गुप्ता	सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर
5.	डॉ. गोविन्द सिंह	प्रतिनिधि–निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
6.	श्री घनश्याम आर्य	प्रतिनिधि–निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी.,उदयपुर
7.	श्री एस. एन. झा	प्रतिनिधि, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, डा. राधाकृष्ण शिक्षा संकुल, जयपुर
8.	श्री अश्विन शर्मा, परिवीक्षा अधिकारी	प्रतिनिधि–आयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
9	श्रीमती नीरजा गुप्ता	प्रतिनिधि अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
10.	श्री दयाराम महरिया	सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
11.	श्री जगदीश वर्मा	प्रतिनिधि, निदेशक, आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
12.	श्री विकास एस. भाले	सदस्य सचिव–निष्पादक समिति एवं राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप , जयपुर

निष्पादक समिति की 12वीं बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों की सूची

1.	श्रीमती सीमा सिंह	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
2	श्री विश्वजीत सिंह पुरावत	नियंत्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3.	श्री हीरालाल अहीर	अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
4.	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	उपनिदेशक–योजना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
5.	श्रीमती ममता दाधिच	उपनिदेशक–प्रशिक्षण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
6.	श्री भूप सिंह यादव	उपनिदेशक–बा.छा. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर
7.	डॉ. रचना शर्मा	उपनिदेशक–वि.वा.अ. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
8.	श्री ओ.पी.सोनी	सहायक अभियन्ता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
9.	श्री वीर सिंह मीणा	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
10.	डॉ. बालेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
11.	श्री गोविन्द राम शर्मा	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
12	श्री दीपक भारद्वाज	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
13.	श्री विक्रम सिंह	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
14.	श्रीमती अनुसूया गुप्ता	सहायक निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर